न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः 12.04.2019

<u>अपील संख्याः 32/16</u>

1. बुले खॉ पुत्र हाजी फतू खॉ जाति मुसलमान निवासी फलावाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26—02—2016
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—
1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय व डिक्री दिनांक 26—02—2016 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादगत् भूमि ग्राम फलावाली के खसरा नम्बर 46 बी 32 बीघा भूमि जोकि वर्तमान में स्कीम में आने पर चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/58 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 20, 22 ता 25 व चक 13 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/59 के किला नम्बर 1 ता 14 इस प्रकार कुल 32 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। उक्त भूमि अपीलांट को दिनांक 22—02—1990 को आवंटित की गई थी तथा आवंटन दिनांक के पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का निवेदन किया जाता रहा, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन पट्‌टे की पूर्ण जॉच किये बिना, बिना साक्ष्य लिये व बिना जॉच किये एकतरफा तौर पर निर्णय डिकी पारित की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि ग्राम फलावाली के खसरा नम्बर 46 बी 32 बीघा भूमि जोकि वर्तमान में स्कीम में आने पर चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/58 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 20, 22 ता 25 व चक 13 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/59 के किला नम्बर 1 ता 14 इस प्रकार कुल 32 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। उक्त भूमि अपीलांट को दिनांक 22–02–1990 को आवंटित की गई थी तथा आवंटन दिनांक के पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् अदालत मातहत के समक्ष निरन्तर उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का निवेदन किया जाता रहा, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा जो तनकीयात् कायम की गई है उक्त तनकीयात् वाद के मध्येनजर सही कायम नहीं की गई एवं जो तनकीयात् कायम की गई थी उनकी सही विवेचना भी अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। अपीलांट को आवंटित भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित/कब्जे काश्त की गैरखातेदारी भूमि रही है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/58 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 20, 22 ता 25 व चक 13 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/59 के किला नम्बर 1 ता 14 इस प्रकार कुल 32 बीघा भूमि सक्षम करवाते हुए धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन आदेश की मात्र छाया प्रति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत ग्राहय योग्य नहीं है। ग्राम फंलााली प्रथम चरण का ग्राम है तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में भूमि आवंटन हेतु वर्ष 1988 में ही प्रतिबन्ध लगाया जा चुका था। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि वर्ष 1990 में वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार वादपत्र में तनकीयात कायम करते हुए, व तमाम राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है। अपीलांट की अपील आधारहीन व दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करते हुए आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी,
बीकानेर

Scanned by CamScanner

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि ग्राम फलावाली के खसरा नम्बर 46 बी 32 बीघा भूमि जोकि वर्तमान में स्कीम में आने पर चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/58 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 20, 22 ता 25 व चक 13 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/59 के किला नम्बर 1 ता 14 इस प्रकार कुल 32 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। उक्त भूमि अपीलांट को दिनांक 22–02–1990 को आवंटित की गई थी, जिस पर अपीलांट का आज दिनांक तक निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादीगण कानूनन अधिकारी है।

इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में अभिलिखित तथ्यों के आधार पर निम्नानुसार तनकी कायम की गई।

1. आया कि वादी को वादगत् भूमि विधिवत रूप से आवंटित की गई थी, जिस पर वादी लगातार काबिज काश्त है?
2. आया कि खसरा नम्बर 42 से वाद वर्णित मुरब्बा एवं किला नम्बर मुर्तिब हुए है?
3. आया कि वादी वादगत् भूमि का पुख्ता आवंटी धोषित करवाये जाने का अधिकारी है?
4. आया वादगत् भूमि आराजीराज है। वाद राजस्व अभ्भिलेखों के विपरीत पेश किया गया है जो अवधि बाहर है। अतः वादी का वाद खारिज योग्य है।
5. दादरसी।

प्रकरण में तनकी संख्या 1 ता 3 को साबित करने का भार अपीलांट/वादीगण पर था। अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि विधिवत रूप से वर्ष 1990 में आवंटित की गई थी तथा जिस पर उसका निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं खसरा नम्बर 42 से चकबन्दी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

आने पर वादगत् भूमि चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/58 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 20, 22 ता 25 व चक 13 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/59 के किला नम्बर 1 ता 14 इस प्रकार कुल 32 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई।

इस संबंध में वादी/अपीलांट द्वारा अपने आवंटन के समर्थन में मात्र आवंटन आदेश की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है तथा वादगत् भूमि खसरा नम्बर 42 से चक 11 डीडी के मुरब्बा नम्बर 69/58 व मुरब्बा नम्बर 69/59 के रूप में पैमूद होने का कोई ठोस सबूत यथ सूची नम्बर 4 आदि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने अपीलांट/वादी यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि वादगत् भूमि का विधिवत आवंटन अपीलांट/वादी को किया गया था।

जबकि उक्त तनकी पूर्णतया राजस्व रिकार्ड पर आधारित थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादगत् भूमि का आवंटन होना साबित करता हो।

तनकी संख्या 4 के संबंध में स्टेट के जवाब में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। अपीलांट/वादीगण द्वारा इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः उक्त तनकी अपीलांट/वादीगण के विरूद्व तय करने में अदालत मातहत द्वारा कोई त्रूटि कारित नहीं की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट/वादीगण का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि वर्ष 1990 में आवंटित होने व कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी हकों की धोषणा करवाने के अधिकारी है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी, वादगत् भूमि की मौका रिपोर्ट आदि ना तो अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये है व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर आज दिनांक को उनका कोई कब्जा काश्त हो व अपीलांट/वादीगण के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अभिकथनों को कोई बल प्राप्त होता हो। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

अपीलांट ने अपने आवंटन के समर्थन में आवंटन अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया तथा ना ही पुराने कब्जे काश्त का कोई सबूत पेश किया। अपीलांट द्वारा मात्र ओथ कमिश्नर द्वारा प्रमाणित कथित आवंटन आदेश की प्रति पेश की है। उक्त आदेश में उपनिवेशन क्षेत्र की भूमि खसरों में आवंटित की जानी बताई है, जबकि उपनिवेशन विभाग द्वारा चकबन्दी के बाद ही आवंटन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन आदेश की सत्यता संदेह की श्रेणी में आती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए, कायम की गई तनकीयात् का विस्तृत विवेचन करते हुए, स्टेट का जवाब आदि लेकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट का कथन कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में सही रूप से तनकीयात् को कायत नहीं किया गया है व ना ही तनकीयात् को साबित करने का भार सही रूप से पक्षकारान् पर डाला गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26—02—2016 उपखण्ड अधिकारी, पूगल यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 12.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner